

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ 4419

दिनांक: 29/3/22

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा विज्ञापित समस्त प्रकार के विज्ञापनों को जयपुर नगर निगम (विज्ञापन उपविधियां 2004) के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय विज्ञापन कर को 01 अप्रैल, 2021 से 05 वर्ष के लिए कर मुक्त करती है।



(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ 4420-20
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 29/3/22

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
04. महापौर, नगर निगम जयपुर (हैरिटेज/ग्रेटर)।
05. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (हैरिटेज/ग्रेटर)।
06. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन, एडमीन बिल्डिंग मेट्रो विभाग भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को भेजकर लेख है कि वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
08. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी असाधारण राज-पत्र में प्रकाशार्थ प्रेषित है।
09. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी